

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

06/02/2023  
 पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को  
 धमन जारी होकर पत्रावली वास्ते जवाब  
 दिनांक 05/07/2023 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
 रावतभाटा (पिताकाका)

05/07/2023  
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता शर्मा उपस्थित।  
 अप्रार्थी की पक्ष लमील प्रह जो शा.का. की  
 गर्। अप्रार्थी परोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा  
 आश्रय में उपस्थित हो पत्रावली में पक्षधारी  
 फले में खतरा व्यक्त की तथा पत्रावली में

No-objection उस्तुत किया। पत्रावली वास्ते बहस  
 व आरोप शा.पत्र धारा-128 से 13/07/2023  
 को पेश हो।  
 S.D.O

13/07/2023  
 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित।  
 वकील प्रार्थी ने प्रा.पत्र धारा-128 पर बहस  
 सुनाई। उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का  
 अवलोकन किया गया। पत्रावली में शामिल  
 दस्तावेजों का अवलोकन किया। बहस पर मनन  
 किया गया। प्रार्थी अपने खातेदारी की भूमि  
 की पत्थरवादी कराना चाहता है तथा परोकार  
 सरकार के सहमति व्यक्त करने से पत्रावली

श्री. प्रार्थी का प्रा.पत्र धारा-128 स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र धारा-128 धातः पत्थरवादी का स्वीकार किया जाता है। पत्थरवादी का आदेश / निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर शामिल वफ्तूर है।

उपखण्ड अधिकारी ।  
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)